रजिस्टर्ड नं0 एल0 33/एस0 एम0/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 11 फरवरी, 1995/22 माघ, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 20 अक्तूबर, 1994

संख्या एल0एल0 आर0 (राजभाषा) बी0(16)-2/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवेन्यू (अमैण्डमैंट एण्ड इक्सटेंशन) ऐक्ट, 1976 (1976 का 21)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित,
सचिव।

2829-राजपत्र/94-11-2-95—1,228.

मूल्य : 1 रुपया।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विस्तारण) अधिनियम, 1976

(1976 का 21)

(30-6-1994 को यथा विद्यमान)

प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों में यथा लागू हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) का संशोधन करने और इस प्रकार संशोधित उक्त संशोधित अधिनियम का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए राज्य क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन और विस्तारण) अधिनियम, 1976 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2-28. इन धाराओं द्वारा किए गए संशोधन मूल अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं।

विस्तारण।

29. इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम, और बनाए गए सभी नियम और किए गए आदेश और जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, निदेश या अनुदेश, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले उन राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त हैं, जिनको उक्त अधिनियम लागू हैं, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए राज्य क्षेत्रों में एतद्द्वारा विस्तारित किए जाते हैं और प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

30. मूल अधिनियम की धारा 2 और 3 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन, मूल अधिनियम की अनुसूची में जोड़ी गई, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए राज्य क्षेत्रों में यथा लागू अधिनियमितियां और तद्धीन बनाए गए सभी नियम और किए गए आदेश और जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, निदेश या अनुदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ पर इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाए निरसित हो जाएंगे :

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियमों का पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन समयक् रूप से की गई या होने दी गई कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या ;

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(ब) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था:

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई धारा 29 द्वारा विस्तारित अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवर्तन में रहेगी, जब तक इस प्रकार विस्तारित अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं की जाती।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

31. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों या आदेशों अथवा अनुदेशों या निदेशों को जिन्हें अब धारा 29 द्वारा उस राज्य क्षेत्र में विस्तारित किया गया है जहां वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नहीं थे, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।